संख्या- 37/2026/I/1311674/2026/11-4099/2/2022

प्रेषक,

धर्मेन्द्र मिश्रा,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 28 अप्रैल, 2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से जी0एस0टी0एन0 को देय Advance User Charges की प्रथम किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0एस0टी0/2025-26/01/राज्य कर दिनांक 01.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-800-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय के मानक मद-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु Advance User Charges की प्रथम किस्त के रूप में रु0 3813.00 लाख की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0एन0 को किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-35/2026/I/1292523/2026/11-4099/70/2025 दिनांक 08.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-800-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय के मानक मद-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रु0 5000.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रक्षित किया गया है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जी0एस0टी0एन0 को एडवांस यूजर चार्जेज (Advance User Charges) की प्रथम किश्त के रूप में रु0 3813.00 लाख की धनराशि का भुगतान** किये जाने हेतु, शासन के उपर्युक्त पत्र दिनांक 08.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-800-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय के मानक मद-42-अन्य व्यय में आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 के निवर्तन पर रक्षित धनराशि रु0 5000.00 लाख में से **रु0 3813.00 लाख (रुपये अड़तीस करोड़ तेरह लाख मात्र)** धनराशि की वितीय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

4. कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

धर्मेन्द्र मिश्रा
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

धर्मेन्द्र मिश्रा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in